भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 161*
06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्ज्ञान योजना

*161. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री तापिर गाव:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुर्ज्ञान योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त योजना से आयुष स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में क्षमता निर्माण में सहायता मिलती है और आयुष चिकित्सा पद्धति में नई औषधियों, रोग उपचारों और प्रविधियों की खोज और उनके विकास के कार्य में अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है;
(ग) क्या सरकार ने आयुर्वेद ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकृत करने के लिए कोई प्रयास किए हैं, यदि हां, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) आयुष स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करने और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद दिवस पर सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषत: उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आयुष क्षेत्र में किए गए अनुसंधान और नवाचारों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि तथा विशेषत: उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 161* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बाह्य अनुसंधान गतिविधियों द्वारा आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार तथा शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि प्रदान करके सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तीन घटक हैं: (i) आयुष में क्षमता निर्माण एवं सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) (ii) आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार और (iii) आयुर्वेद जीव-विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान (एबीआईएचआर)। एबीआईएचआर को वित्तीय वर्ष 2023-24 से तीसरे घटक के रूप में योजना के तहत जोड़ा गया है। योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्य **संलग्नक-I** में दिए गए हैं। इसके अलावा, योजना के विस्तृत दिशानिर्देश आयुष मंत्रालय के पोर्टल (https://ngo.ayush.gov.in/ayurgyan) पर उपलब्ध हैं।

(ख): जी हां, आयुर्ज्ञान योजना के आयुष में क्षमता निर्माण एवं सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) घटक, आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में योगदान देता है। इसके अलावा, आयुर्ज्ञान योजना के आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार तथा आयुर्वेद जीव-विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटक, आयुष चिकित्सा पद्धति में नई औषधियों, उपचारों और क्रिया पद्धतियों का पता लगाने तथा उनका विकास करने में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

(ग): जी हां, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

i) आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत आयुर्वेद जीव-विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटक का उद्देश्य, मौलिक विज्ञान एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकरण में आयुर्वेद को शुरू करने के प्रभावी एकीकृत मॉडलों के अध्ययन हेतु देश में तथा वैश्विक स्तर पर उपलब्ध व्यापक अनुसंधान क्षमता का उपयोग करना है।

ii) आयुर्ज्ञान योजना के तहत आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार घटक, पात्र संगठनों को आयुष में अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुर्वेद के ज्ञान का एकीकरण शामिल है।

iii) आयुर्ज्ञान योजना के तहत आयुष में क्षमता निर्माण एवं सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) घटक में गैर-आयुष चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के लिए आयुष पद्धतियों के 6-दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ओटीपी) का प्रावधान है।

iv) आयुर्स्वास्थ्य योजना के तहत उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) घटक उन पात्र संगठनों को सृजनात्मक और नवाचारी प्रस्तावों की मदद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनके पास सुस्थापित भवन तथा बुनियादी ढांचा है और जो आयुष पद्धतियों को उत्कृष्टता केंद्र के स्तर तक ले जाने के लिए कार्य करना चाहते हैं।

आयुर्ज्ञान योजना तथा आयुर्स्वास्थ्य योजना पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्य-वार आबंटित/स्वीकृत नहीं की जाती हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, पात्र संगठनों को सीधे निधियां जारी की जा रही हैं।

v) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए एमबीबीएस हेतु आयुष मॉड्यूल इंटर्नशिप इलेक्टिव्स विकसित किए हैं। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक-पूर्व आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022 के खंड 10(7) के अनुसार, आयुर्वेद शिक्षण सामग्री के पाठ्यक्रम में आधुनिक प्रगति का अनुपात 40 प्रतिशत तक होगा।

vi) आयुष मंत्रालय के एक स्वायत्त संगठन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने देश भर के एम्स में आयुष-आईसीएमआर एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च (एआई-एसीआईएचआर) स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। इन केंद्रों में लोगों को एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए, प्राचीन ज्ञान (पारंपरिक चिकित्सा) को पारंपरिक जैव-चिकित्सा तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर, एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान का गतिशील तथा जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

(घ): माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को 9वें आयुर्वेद दिवस के आयोजन के दौरान आयुष मंत्रालय की निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गईं:

i. स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने तथा दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में समग्र आरोग्यता के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए 'देश का प्रकृति परीक्षण' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान।

ii. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के दूसरे चरण का उद्घाटन।

iii. केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईवाईएन), रायपुर (छत्तीसगढ़) और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईवाईएन), खोरदा (ओडिशा) की आधारशिला रखी गई।

iv. आयुर्स्वास्थ्य योजना के तहत चार (4) उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन:

- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायबिटीज एंड मेटाबोलिक डिसऑर्डर, जिसके केंद्र-बिंदु में प्रीडायबिटीज एवं डायबिटीज अनुसंधान तथा आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन का सत्यापन है।
- आईआईटी दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल आयुष, जो उन्नत प्रौद्योगिकीय समाधान विकसित करने, स्टार्ट-अप्स को सहायता देने और "रसऔषधियों" के लिए शुद्ध-शून्य स्थायी समाधान तैयार करने के लिए समर्पित है।
- सीडीआरआई लखनऊ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फंडामेंटल एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च इन आयुर्वेद, जिसके केंद्र-बिंदु में अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक वनस्पतियों में उन्नत अनुसंधान करना है।
- जेएनयू, नई दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आयुर्वेद एंड सिस्टम्स मेडिसिन, जिसका लक्ष्य पद्धतियों की चिकित्सा का उपयोग करके रूमेटोइड आर्थराइटिस के आयुर्वेदिक उपचार की मॉलेक्यूर पद्धतियों पर शोध करना है।

(ङ): पिछले 03 वर्षों के दौरान, आयुष क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार के लिए, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थित पात्र संगठनों को, आयुर्ज्ञान योजना के आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार तथा आयुर्वेद जीव-विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटक के तहत, 30 अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ब्यौरे **संलग्नक-II** में दिए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, पिछले 03 वर्षों के दौरान आयुष मंत्रालय के तहत परिषदों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं नवाचार निम्नानुसार हैं:-

- केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस): 246 अनुसंधान परियोजनाएं और अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों के 517 शोध प्रकाशन।
- केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम): 78 अनुसंधान परियोजनाएं और अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों के 359 शोध प्रकाशन।
- केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस): 17 अनुसंधान परियोजनाएं और अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों के 270 शोध प्रकाशन और 1 पेटेंट।
- केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच): 131 अनुसंधान परियोजनाएं और अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामों के 200 शोध प्रकाशन।

(च): आयुर्ज्ञान योजना केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसलिए, योजना के अंतर्गत निधियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित/स्वीकृत नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र संस्थाओं/संगठनों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं। योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों के ब्यौरे **संलग्नक-III** में दिए गए हैं।

*****

आयुर्ज्ञान योजना के सभी तीन घटकों के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैं : -

(क) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)

i. आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में देश स्तर पर घटकों के क्षमता का सृजन, संवर्द्धन और विकास करना।
ii. आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य प्रथाओं, जो स्थायी हों में सुधार करना।
iii. आयुष पेशेवरों को संगठित तरीके से आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक अभिविन्यास और व्यावसायिक कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना।
iv. शिक्षकों और डॉक्टरों के व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन करना ताकि वे क्रमशः अच्छे शिक्षण अभ्यासों और बेहतर नैदानिक अभ्यासों को अपना सकें।
v. आयुष विकास और तत्संबंधी उन्नयन के व्यापक प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और वेब-आधारित शिक्षा कार्यक्रमों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
vi. स्वास्थ्य सेवा वितरण के मानकों को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा की उभरती प्रवृत्तियों और वैज्ञानिक परिणामों के अनुसार डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना।
vii. डॉक्टरों को पेशेवर प्रतिवेदनों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि वे पेशेवर रूप से अद्यतित रहें। आयुष-सीएमई दिशानिर्देश।
viii. अस्पतालों और औषधालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आयुष पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
ix. गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पहलुओं पर आयुष संस्थानों और अस्पतालों के प्रशासकों के लिए आवश्यकता आधारित प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
x. आयुष पद्धतियों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करना तथा अनुसंधान के क्षेत्रों और सहयोगात्मक गतिविधियों के अवसरों पर प्रकाश डालना।
xi. आयुष पद्धतियों में विनियामक मुद्दों का समाधान करने वाले नए अधिनियमों/अधिसूचनाओं और अन्य सूचनाओं से अवगत कराना।
xii. आयुष संबंधी अनुसंधान और शिक्षा के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य को मानकीकृत/मान्य बनाना और विकसित करना;
xiii. अंतःविषयक दृष्टिकोणों के साथ आयुष पद्धति का वैज्ञानिक अन्वेषण करना; प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित परिणाम प्राप्त करना;

(ख) आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार

i. प्राथमिकता वाले रोगों के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) आधारित आयुष औषधियों का विकास;
ii. आयुष उत्पादों और प्रथाओं के लिए सुरक्षा, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर ऑकड़े तैयार करना;
iii. आयुष औषधियों और उपचारों की प्रभावकारिता पर साक्ष्य-आधारित समर्थन विकसित करना;
iv. प्राचीन ग्रंथों पर शोध को प्रोत्साहित करना और आयुष पद्धतियों के मौलिक सिद्धांतों की जांच करना;
v. कच्ची औषधियों और तैयार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों में भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों, सूक्ष्मजीवी भार, सुरक्षा/विषाक्तता आदि पर ऑकड़े सृजित करना;
vi. आयुष निर्यात बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) क्षमता वाले आयुष उत्पादों का विकास करना
vii. आयुष पद्धतियों में संभावित मानव संसाधन का विकास करना, विशेष रूप से आयुष पद्धतियों से संबंधित वैज्ञानिक योग्यता और विशेषज्ञता विकसित करना;
viii. आयुष विभाग और अन्य संगठनों/संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान उद्यम विकसित करना

(ग) आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान

i. निम्नलिखित उद्देश्यों के माध्यम से मौजूदा आयुर्वेद जीवविज्ञान अनुसंधान को सुदृढ़ करना और आगे बढ़ाना:
   क. आयुर्वेद जीवविज्ञान के क्षेत्र में एक स्थायी मंच विकसित करना जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञानों जैसे आणविक जीवविज्ञान, औषध विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना

विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि के संदर्भ में आयुर्वेद के सिद्धांतों, क्रियापद्धतियों और उत्पादों की बुनियादी समझ विकसित करना है।

ख. आयुर्वेद औषधियों के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को समझने और आयुर्वेद औषधियों के द्वि-आणविक मार्गों और प्रभावों को मान्यता प्रदान करने के लिए अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण।

ii. निम्नलिखित कार्य करके व्यावहारिक एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल के लिए जैव-औषधि, जैव-प्रौद्योगिकी, जैवभौतिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ आयुष पद्धतियों के भीतर साक्ष्य-आधारित तत्वों के अभिसरण के लिए एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना:

क. आयुष आधारित परिणामों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में रूपांतरण के लिए रूपांतरणीय मूल्य के साथ उच्च स्तरीय एकीकृत अनुसंधान को सहयोग प्रदायन करना।

ख. विविध परिस्थितियों से प्राप्त अवलोकनों के संश्लेषण द्वारा आयुष उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को प्रदर्शित करने के लिए आणविक, नैदानिक और वास्तविक साक्ष्यों का सृजन करना तथा ठोस एकीकृत देखभाल के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।

ग. आयुष, जैव-चिकित्सा इंजीनियरिंग, आयुर-टेक और एकीकृत जीव विज्ञान में साझा रुचि रखने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ उपकरणों और नैदानिक उपकरणों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना ।

संलग्नक-II

पिछले 03 वर्षों के दौरान आयुर्ज्ञान योजना के आयुष और आयुर्वेद जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटकों में अनुसंधान और नवाचार के तहत अनुसंधान और नवाचार से संबंधित परियोजनाओं के लिए समर्थित संगठनों का विवरण इस प्रकार है:

आयुष घटक में अनुसंधान एवं नवाचार

क्र.सं.	संगठन का नाम	राज्य	स्वीकृत/जारी की गई राशि (रु. में)
2021-22			
1.	इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	853704/-
2.	राजकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेल्ली	तमिल नाडु	899100/-
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली	3798048/-
4.	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (बीएमसी एंड आरआई), बेंगलुरु	कर्नाटक	926100/-
2022-23			
5.	जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	दिल्ली	2058198/-
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली	1851016/-
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली	991872/-
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	दिल्ली	2164263/-
9.	आईसीएमआर-राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान टीएनएचबी, चेन्नई	तमिल नाडु	1878280/-
10.	भूपत और ज्योति मेहता स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास	तमिल नाडु	4149000/-
2023-24			
11.	आस्थागिरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन पेरुंगुडी इंडस्ट्रियल एस्टेट पेरुंगुडी चेन्नई	तमिल नाडु	3085200/-
12.	स्कूल ऑफ बायो-साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर	तमिल नाडु	2101840/-
13.	मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज	दिल्ली	2761820/-
14.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर	दिल्ली	2882205/-
15.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली	दिल्ली	1938684/-
16.	जामिया हमदर्द	दिल्ली	2888600/-
17.	सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सीआईआईएमएस), बजाज नगर, नागपुर	महाराष्ट्र	1529382/-
18.	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे	महाराष्ट्र	3526170/-
19.	जेएसएस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मैसूरु	कर्नाटक	1793094/-
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	उत्तराखंड	2698640/-
2024-25			

21.	कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	कर्नाटक	1992720/-
22.	एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, मंजूश्री नगर, सत्तूर, धारवाड़	कर्नाटक	1471560/-
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा	ओडिशा	2973920/-
24.	डॉ. एएलएम स्नातकोत्तर मूल चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मद्रास विश्वविद्यालय, तारामणि परिसर, चेन्नई	तमिल नाडु	2064060/-

आयुर्वेद जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (लाख रु. में)
2023-24			
1.	लैला न्यूट्रास्यूटिकल्स, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	560.00
2.	डाबर रिसर्च फाउंडेशन,गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	56.00
2024-25			
3.	इन्टॉक्स प्रा.लिमिटेड पुणे	महाराष्ट्र	498.50
4.	एडिगिल लाइफसाइंसेज प्रा.लिमिटेड	कर्नाटक	499.32
5.	जय रिसर्च फाउंडेशन वलवाड़ा	गुजरात	498.85
6.	लैला न्यूट्रास्यूटिकल्स, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	499.54

संलग्नक-III

वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक (02/12/2024) आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत आवंटित एवं जारी निधियों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	आयुष में क्षमता निर्माण और सीएमई		आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार		आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान		**कुल**	
	आवंटित निधियां	जारी निधियां	आवंटित निधियां	जारी निधियां	आवंटित निधियां	जारी निधियां	आवंटित निधियां	जारी निधियां
2021-22	2.70	2.70	5.72	1.76	--	--	**8.42**	**4.46**
2022-23	6.25	6.25	4.25	2.82	--	--	**10.50**	**9.07**
2023-24	4.50	4.50	4.00	4.00	6.16	6.16	**14.66**	**14.66**
2024-25 (as on 02.12.2024)	4.50	2.99	4.00	2.05	40.00	19.96	**48.50**	**25.00**